

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -354 / 2023

अनवान : -

1. रामजीलाल पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. सुल्तान पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. मैना देवी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी

श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 24.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 154/154 की कुल 2.1380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गंगाराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता यानि की प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 जो की वादी कि वादी बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

24
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता सं0 154/154 की कुल 2.1380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता सं0 154/154 की कुल 2.1380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी सं0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 एवं प्रतिवादी सं0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...24.5.23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
प्रकरण संख्या -354/2023

अनवान : -

1. रामजीलाल पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. सुल्तान पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. मैना देवी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पुत्री सुल्तान जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 354 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 154/154 की कुल 2. 1380 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-परलीका